-1-

214

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016

श्रीमति रश्मि अग्रवांल पत्नी श्री राजेश अग्रवाल निवासी चरवारी मोहल्ला छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

.....आवेदक

बनाम

1. श्रीमती प्रभा वरसैया पत्नी श्री नन्दकिशोर वरसैया निवासी मऊ दरवाजा छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

2. नीलेश दुबे पुत्र श्री कृष्ण गोपाल दुबे निवासी शान्ति नर कॉलोनी विजावर नाका छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर
3. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर (मप्र.)

.....अनावेदकगण

<u>न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 906/अ.–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2016 के विरूद्ध म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है।:–

1. यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्र. 601/1 क रकवा 0.032 हैक्टेयर आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 से रजिस्टर विक्रय दिनांक 27.02.09 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तदानुसार राजस्व अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया गया और वर्तमान में भी आवेदक अपने स्वत्व की भूमि पर काबिज है।
2. यहकि, विचारण तहसीलदार महोदय छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 10/अ–6–अ/05–06 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2005 के विरूद्ध

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निगरानी 2204–एक/16 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-10-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 906/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 24–6–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्क एवं लिखित बहस पेश की गई है । अनावेदक पक्ष द्वारा भी लिखित बहस पेश की गई है । 4/ उभयपक्षों द्वारा लिखित बहस में उठाये गये तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदिका की पूर्व भूमिस्वामी प्रभा बरसैंया ने विवादित भूमि के स्वत्व की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्रदान किए जाने हेतु द्वितीय अपर न्यायाधीश वर्ग–1 के न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 03–ए/11 दायर किया गया था इस वाद में दिनांक 11–4–2011 को पारित निर्णय के अनुसार विवादित भूमि पर प्रभा बरसैंया का स्वत्व एवं आधिपत्य अप्रमाणित पाया गया है तथा वाद निरस्त किया गया है ।	

 R 2204-5/16 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रभा बरसैया द्वारा इस निर्णय के विरूद्ध अपर जिला न्यायाधीश छतरपुर के यहां सिविल अपील पेश की गई जो उनके द्वारा वापिस ले ली गई है । अतः अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष उचित है कि जब बरसैया को विवादित भूमि में कोई स्वत्व नहीं है तब उन्हें यह भूमि किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने का अधिकार नहीं था । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त का जो आदेश है वह अपने स्थान पर उचित और न्यायिक है उसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । सदस्य	